राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

क्रमांकः प.6( )/सामान्य/स्टे.मो.गै./2022–23/8553 दिनांक 15.11.2022

ई–नीलामी सूचना

सरकारी वाहनों एवं सामान की भव्य नीलामी

राजस्थान सरकार के सभी राजकीय वाहनों/नाकारा सामान टायर, ट्यूब् बैट्री एवं अन्य की ई–नीलामी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से सोमवार दिनांक 28.11.2022 से 02.12.2022 एवं 05 व 06 दिसम्बर 2022 (कुल 07 कार्य दिवस) को एक/दो सत्र में ई–नीलामी का आयोजन रखा गया है तथा दिनांक 30.11.2022 को नाकारा सामान एवं टायर ट्यूब/बैट्री की नीलामी की जावेगी। कार्यालय परिसर में नाकारा वाहन/सामान का निरक्षण/अवलोकन दिनांक 21.11.2022 से 24.11.2022 में किया जा सकता है। उक्त ई–नीलामी की शर्तो का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पर एवं विभाग की वेबसाइट **http://164.100.222.125/** व एम.एस.टी.सी. लिमिटेड वेबसाईट **www.mstcindia.co.in** / **E-auction site: www:mstcecommerce.com.** पर किया जा सकता है व ई–नीलामी में भाग लेने हेतु एमएसटीसी से सदस्यता/रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु दूरभाष संख्या 0141-2742208 – 9004311440 पर सम्पर्क किया जा सकता है

नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव

22 Godam, Sahakar Path, Jaipur-302001
Tel. 0141-2740834, 838 Fax-0141-2740038
Email-ID : rsmg@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, विभाग, जयपुर

नाकारा वाहनों एंव सामान की नीलामी की शर्ते

1. वाहन क्रेता को वाहन सुपुर्दगी के समय निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगे बिन्दु क व ख में से एक–एक :–

बिन्दु (क)

(i) मतदाता पहचान पत्र।
(ii) ड्राईविंग लाईसेन्स।
(iii) पासपोर्ट।
(iv) पेन कार्ड।
(v) आधार कार्ड।

बिन्दु (ख)

(i) बिजली का बिल।
(ii) पानी का बिल।
(iii) टेलीफोन का बिल।

(ग) पास पोर्ट साईज के एक नवीनतम फोटो।

(घ) फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को फर्म/कम्पनी/संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से बोली में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र की भी दो सत्यापित छायाप्रतियॉं प्रस्तुत करनी होगी।
उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. नीलामी मे प्रत्येक बोली लगाने वाले क्रेता को बोली लगाने से पहले MSTC की सदयस्ता (आजीवन/वार्षिक) लेकर निम्नानुसार धरोहर राशि नेट बैंकिग के माध्यम से MSTC जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।

(अ) दुपहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन राशि रू० 5000/ (रूपये पॉंच हजार मात्र एवं अन्य वाहनों के लिए प्रति वाहन राशि रू० 10000/– रूपये दस हजार मात्र)

(ब) नाकारा मोट्र्स पार्ट्स, अप्रचलित/बेशी सामानों के लिये राशि रू० 30000/– (रूपये तीस हजार मात्र)

(स) नाकारा टायर–टयूब्स एवम नाकारा बैट्री (प्रदूषण मंडल से जारी लाईसेन्स धारक फर्म ही नाकारा बैट्री की बोली लगाने हेतु योग्य होगी।) के प्रति लाट् के लिये राशि रू० 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र)

(द) विभाग द्वारा उपयोग में लिये गये फर्नीचर, उपकरण एवम् अन्य अनुपयोगी सामान एवं छोटे लाट्स के लिये राशि रू० 10000/– (दस हजार मात्र)

3. नीलामी से पूर्व जमा करवायी गई धरोहर राशि उसके द्वारा वाहन या सामान के विक्रय मूल्य जमा करवाने के पश्चात अधिकतम 30 दिवस के भीतर विभाग द्वारा जारी फार्म नं. 29 व 30 की प्रति MSTC को प्रस्तुत करने पर तथा नाकारा सामान/स्क्रेप वाहन में विक्रय पत्र जारी होने पर MSTC के द्वारा सम्बन्धित को लौटा दी जावेगी

4. वाहन/सामान की नीलामी जहॉं है जैसा है के आधार पर की जावेगी। अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली लगाने से पूर्व वाहन एवम् सामान का निरीक्षण कर लेवे तथा नीलामी शर्तो को मानने के लिये बाध्य है।

5. सबसे ऊची बोली स्वीकार किये जाने पर विक्रय राशि नियन्त्रक स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को देय ड्राफ्ट/पे आर्डर/विभागीय पी.डी. खाते में ई–ग्रास चालान के माध्यम से भी राशि जमा करवायी जा सकेगी। इस हेतु एक मार्ग दर्शिका पत्र जारी किया गया है यदि कोई क्रेता प्रिसिंपल राशि का डी. डी. भी जमा कराना चाहता है तो वह प्रिसिंपल राशि जमा करवा सकेगा। जीएसटी हेतु विभागीय पत्र अनुसार अनुमोदित बैंकों के डी.डी. ही स्वीकार किय जावेगे। नीलामी दिनांक सहित 25% (देय करो को छोड़कर) नीलामी दिनांक से 4 दिवस के भीतर जमा करानी होगी उसके उपरान्त प्राप्त रसीद के अगले 06 दिवस में देय समस्त कर सहित शेष राशि जमा करानी होगी। यदि कोई क्रेता 25% राशि जमा नही करवाता है तो नीलामी दिनांक से 10 दिवस के भीतर पूर्ण राशि जमा करवा सकेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति मे समस्त जमा राशि जब्त कर वाहन/सामान की पुनः नीलामी की जावेगी।

Scanned with CamScanner

6. सपुर्दगीः– वाहनो की सपुर्दगी निम्न आधार पर की जावेगी।

i. वाहन के पेटे देय राशि विभाग में जमा करवाकर वाहन के दस्तावेज प्राप्त कर MSTC से जारी डिलीवरी आदेश की दिनांक से 20 दिवस में वाहन रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाकर वाहन की सपुर्दगी प्राप्त कर सकेगा।

ii. वाहन क्रेता द्वारा समय पर वाहन सुपुर्दगी नहीं लेने की स्थिति में MSTC से जारी डिलीवरी आदेश की दिनांक से 20 दिवस बाद दोपहिया वाहन हेतु 50/–रूपये तथा चौपहिया वाहन हेतु 100/– प्रति दिवस जमीन किराया देय होगा। यदि वाहन क्रेता MSTC से जारी डिलीवरी आदेश जारी होने की दिनांक से 35 दिवस बाद भी वाहन का रजिस्ट्रेशन स्थानान्तरण नही करवाकर आता है तो विभाग समस्त जमा राशि जब्त कर वाहन का पुनः नीलाम कर दिया जावेगा।

iii. वाहन क्रेता यदि वाहन के दस्तावेज के साथ वाहन की सपुर्दगी लेना चाहता है तो उसे वाहन विक्रय राशि के अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि का ड्राफ्ट जो नियन्त्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के नाम देय हो जमा करवाने के पश्चात् वाहन की सपुर्दगी प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु भी एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन MSTC से जारी डिलीवरी आदेश की दिनांक से 20 दिवस में करवा लूंगा अन्यथा रजिस्ट्रेशन के प्रति जमा धरोहर राशि जब्त कर विभाग विक्रेता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने में पूर्ण स्वतंत्र होगा।

7. नाकारा सामान नीलामी MSTC से जारी डिलीवरी आदेश की दिनांक से 10 दिवस में हटाना आवश्यक होगा। समय पर सामान नही हटाने की स्थिति में डिलीवरी आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस पश्चात् 500/– प्रति लॉट/प्रति दिवस के हिसाब से जमीन किराया वसूल किया जावेगा। यदि क्रेता डिलीवरी आदेश जारी होने की दिनांक से 20 दिवस तक भी सामान नही हटाता है तो समस्त जमा राशि जब्त कर नाकारा सामान की पुनः नीलामी की जा सकेगी।

8. बोलीदाता द्वारा समय पर वाहन नहीं छुडवाने पर जमा की गई समस्त राशि यदि जब्त करने की स्थिति बनती है तो उक्त राशि पर स्टेट मोटर गैराज विभाग का अधिकार होगा। जिसका निर्णय भी विभाग द्वारा लिया जावेगा।

9. इन शर्तो के संबंध में किसी भी शक के समाधान, एवं खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी मामले में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

10. क्रेता वाहनों की डिलीवरी लेने से पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रपत्र से वाहन के इन्जन नम्बर/चैसिस नं. /मैक/मॉडल आदि की जांच कर लेवे। डिलीवरी लेने के पश्चात इस संबंध में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी

11. वाहन नीलामी के पश्चात वाहन निश्चित अवधि में परिवहन विभाग में ट्रान्सफर करवाने की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी तथा सभी तरह के ट्रान्सफर चार्जेज का भुगतान क्रेता द्वारा ही परिवहन विभाग में जमा करानें होगे तथा राजकीय वाहनों का रोड टैक्स जमा नही होता है तथा बीमा भी नही करवाया जाता है। अतः वाहन क्रेता को ही उक्त राशि परिवहन विभाग में जमा करवानी होगी। वाहन के स्थानान्तरण में आने वाली समस्या के संबंध में निश्चित अवधि एक माह व्यतीत हो जाने के बाद विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. वाहन क्रेता द्वारा नीलामी में लिये गये वाहनों को यदि नष्ट करने/तोडने के कार्य में लेता है तो परिवहन विभाग से वाहन का रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निरस्त/डिलिट करवा कर उसकी प्रति विभाग को प्रस्तुत करने पर ही उक्त रजिस्ट्रकरण स्थानान्तरण से संबंधित धरोहर राशि क्रेता को लौटायी जा सकेगी।

13. न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

14. दोपहिया वाहन पर न्यूनतम आगामी बोली लगाये जाने हेतु 500/– रूपये निर्धारित होगे तथा चौपहिया वाहन के लिए 1000/– रूपये एवं नाकारा मोटर पार्ट्स, टायर ट्यूब बैट्री हेतु 5000/– रूपये तथा अन्य लॉट हेतु 1000/– रूपये लगाने पर ही बोली स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है।

16/11/22

सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड–द्वितीय
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

16/11/2022

उपकोषाधिकारी/अधीक्षक (मु०)
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

वरिष्ठ लेखाधिकारी
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

16/11/22

वरिष्ठ ऑटोमोबाईल अभियन्ता एवं कार्यालयाध्यक्ष
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव
स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

Scanned with CamScanner